उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

अधिहरण वाद संख्या-63/2022-23

सरकार

बनाम्

ललन कु0 भारती

—: आदेश :—

दिनांक	
	सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। मामला ठाकुरगंगटी थाना काण्ड संख्या—32/2022 दिनांक—04.07.2022 से संबंधित है। पुलिस अधीक्षक गोड्डा ने अपने पत्रांक—4290/अप0शा0 दिनांक—13.09.2022 से धारा—379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत कांड में जप्त ट्रक निबंधन संख्या—WB65C-6351 तथा उस पर लदे गिट्टी (स्टोन चिप्स) को राजसात करने के लिए प्रतिवेदन दिया है, जिसके आधार पर वर्तमान वाद की प्रक्रिया प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि वर्तमान कांड वादी मेघलाल टुडू, जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा के लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त ट्रक निबंधन संख्या—WB65C-6351 के मालिक एवं चालक के विरूद्ध अवैध रूप से गिट्टी (स्टोन चिप्स) की चोरी कर परिवहन करने में अंकित किया गया है एवं पर्यवेक्षणोपरांत प्रतिवेदन संख्या—02 में इस कांड को धारा—379/411 भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत प्राथमिकी अभियुक्त ट्रक निबंधन संख्या—WB65C-6351 के मालिक एवं चालक के विरूद्ध सत्य पाया गया है तथा काण्ड में जप्त ट्रक निबंधन संख्या—WB65C-6351 के मालिक ललन कुमार भारती, पे0—स्व0 मुनेश्वर प्रसाद सिंह, सा0—महेशपुर, परवारा, परसा, लवनापरसा, जिला—मुंगेर, बिहार के रूप में सत्यापित हुआ है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने कांड में ट्रक निबंधन संख्या—WB65C-6351 एवं उस पर लदे गिट्टी (स्टोन चिप्स) के विरूद्ध धारा—379/411

भा0द0वि0, 4/54 झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 तथा खान एवं खनिज (विकास का विनियमन) अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 झारखण्ड खनिज (अवैध खनन पर रोक, परिवहन और भंडारण) नियम 2017 के तहत राजसात करने के लिए अनुरोध किया है।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दायर करने के लिए नोटिश का तामिला कराया गया। विपक्षी के द्वारा कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है।

विपक्षी का कथन है कि विपक्षी के उक्त जप्त ट्रक निबंधन संख्या–WB65C-6351 के मालिक है। जप्त वाहन के मालिक एवं चालक को माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची के आदेश के आलोक में जिला एव सत्र न्यायाधीश, गोड्डा के न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गया है। जप्त वाहन व्यवसायिक वाहन है। विपक्षी ने उक्त जप्त वाहन फाईनेंस कंपनी से कर्ज लेकर खरिदा है। थाना परिसर में खुले आसमान में पड़े रहने के कारण खराब हो रहा है। इसलिए जप्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय।

सरकारी वकील का कथन है कि गिट्‌टी (स्टोन चिप्स) परिवहन के कारण जप्त वाहन को राजसात करने के लिए वाद चलाया गया है। अवैध गिट्‌टी (स्टोन चिप्स) प्रश्नगत वाहन द्वारा ले जाने के क्रम में जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा जप्त किया गया है। ठाकुरगंगटी थाना काण्ड संख्या–32/2022 दिनांक–04.07.2022, भा0द0वि0 की धारा–379/411 तथा झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 की धारा 4/54 तथा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 का नियम 4 एवं 9/13 तथा झारखण्ड खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2017 के तहत जप्त कर ठाकुरगंगटी थाना में रखा गया है। आर्थिक क्षति को देखते हुए शर्तों के आधार पर जप्त वाहन को विमुक्त किया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी का ट्रक निबंधन संख्या–WB65C-6351, को गिट्‌टी (स्टोन चिप्स) चोरी कर परिवहन करने में पकड़े जाने पर जप्त किया गया है। विपक्षी के द्वारा वाहन पर लदे अवैध गिट्‌टी (स्टोन चिप्स) के संबंध में कोई भी वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि जप्त वाहन अवैध तरीके से गिट्‌टी (स्टोन चिप्स) चोरी कर परिवहन में संलिप्त पाया गया है। लेकिन चूँकि जप्त वाहन खुले स्थान पर पड़ा हुआ है तथा वाहन का उपयोग नहीं होने पर आर्थिक क्षति होने की संभावना है। जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा ने झारखण्ड लघु खनिज समनुदान

नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत जुर्माना राशि से संबंधित प्रतिवेदन दिया गया है।

अतः झारखण्ड लघु खनिज समनुदान नियमावली 2004 (यथा संशोधित) नियम 54(5) के तहत खनिज मूल्य का दोगुनी राशि 47880.00 (सैंतालीस हजार आठ सौ अस्सी) रू0 जुर्माना राशि एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा निम्नलिखित शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं एक स्थानीय जमानतदार का कागजात के आधार पर जप्त ट्रक निबंधन संख्या–WB65C-6351, को विमुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

1. जब कभी भी न्यायालय को वाहन मालिक/वाहन की आवश्यकता होगी, अविलम्ब न्यायालय के आदेश का पालन करेंगे वो वाहन को न्यायालय में समर्पित करेंगे।
2. वाहन को किसी दुसरे के पक्ष में बिना न्यायालय के आदेश का हस्तांतरण नहीं करेंगे।
3. उक्त वाहन मालिक अपना हस्ताक्षरित आधार कार्ड पर मोबाईल नं0 अंकित कर समर्पित करेंगे।

जिला खनन पदाधिकारी, गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि जुर्माना की उपरोक्त राशि, उपरोक्त शर्तों से संबंधित शपथ पत्र एवं दो लाख रू0 का जमानत बंध–पत्र तथा एक स्थानीय जमानतदार से संबंधित कागजात के आधार पर उपरोक्त जप्त वाहन को मुक्त करेंगे तथा इसकी सूचना सभी संबंधित को देंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त,
गोड्डा।

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.12.30 11:35:20 +05:30
Location: 172.25.192.1